BRSU010006182019

Presented on : 15-02-2019
Registered on : 15-02-2019
Decided on : 06-06-2026
Duration: 7 years, 3 months, 19 days

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सुपौल, बिहार

भरण–पोषण वाद संख्या :– 24 / 2019

सी0आई0एस0 संख्या :– 24 / 2019

[redacted], उम्र लगभग–35 वर्ष, पति–[redacted], पिता–[redacted]

सा0–परमानंदपुर, थाना–वीरपुर, जिला–सुपौल।

नैहर साकिन–परमानंदपुर, थाना–वीरपुर, जिला–सुपौल।

——————————————————आवेदिका

बनाम

[redacted], उम्र लगभग–45 वर्ष, पिता–[redacted]

साकिन–परमानंदपुर, वार्ड नं0–8, पो0–बसंतपुर, थाना–वीरपुर, जिला–सुपौल।

——————————————————विपक्षी

———————————————————————————————

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता :– श्री विनोदकान्त झा, विद्वान अधिवक्ता, सुपौल।

विपक्षी की ओर से : श्री मो0 तैयब हुसैन, विद्वान अधिवक्ता, सुपौल।

———————————————————————————————

निर्णय तिथि :–06वीं, जून, 2026

आदेश

1. वर्तमान वाद आवेदिका [redacted] द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत विपक्षी [redacted] से उचित भरण–पोषण की राशि दिलाया जाय।

आवेदिका का वाद

2. आवेदिका [redacted] ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत दिनांक–15.02.2019 को प्रस्तुत अपने आवेदन में मुख्य रूप से यह अभिकथन किया है कि उसकी निकाह विपक्षी के साथ दिनांक–01.02.2017 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 21,000/– देन मेहर के साथ तय होकर सम्पन्न हुआ। निकाह के वाद वह अपने पति [redacted] के साथ अपने ससुराल अर्थात् उसके पैतृक गाँव में ही है गई। विपक्षी पूर्व से शादी शुदा था। उसकी पहली पत्नी [redacted] बराबर बीमार रहा करती थी, इसी कारण से विपक्षी एवं उसके परिवार के सदस्यो द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर आवेदिका [redacted] के परिवार के लोगों द्वारा विपक्षी के साथ निकाह के लिये तैयार हो गये, तदनुसार निकाह सम्पन्न हुआ।

3. आवेदिका का आगे कथन है कि निकाह के उपरान्त ससुराल जाने पर वह अपने ससुराल में एक वर्ष तक सब ठीक–ठाक रहा। इसी दौरान उसकी पहली पत्नी [redacted] सेवा एवं दवाई आदि कराने पर ठीक हो गई। उसके बाद आवेदिका का आरोप है कि विपक्षी का लगाव

पहली पत्नी [redacted] के साथ बढ़ने लगा तथा विपक्षी एवं उसकी पहली पत्नी [redacted] के द्वारा अथार्त दोनों मिलकर दुसरी पत्नी [redacted] के साथ विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने लगे। वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] पर दबाब बनाने लगे कि यदि वह अपने पिता से एक लाख रूपया माँग कर लायेगी तो वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को रखेंगे। नहीं तो वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को नेपाल ले जाकर बेच देगें। आवेदिका का आगे आरोप है कि लगभग चार महीना पूर्व विपक्षी एवं सौतन के द्वारा आवेदिका के खाने में विष मिलाकर जर्वदस्ती खिलाने का प्रयास किया। वह किसी प्रकार उक्त खाना खाने से बच गई। इस घटना की सूचना उसके पिता एवं उसके परिवारवालो को हुई तो समाजिक पंचायत भी हुआ तथा पुनः इस तरह का व्यवहार नहीं करने का वह विश्वास दिलाया, परन्तु पुनः वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से एक लाख रूपया लाने हेतु प्रताड़ित करने लगे तथा वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] के साथ मारपीट कर एवं समान छीन कर घर से निकाल दिये। निकालने के उपरांत वह अपने पिता के घर आकर रह रही है। पुनः पंचायत करने पर भी वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को बिना रूपया लिये रखने को तैयार नहीं हुआ है। आवेदिका एक गरीब औरत है और उसे अपने जीवन बसर एवं भरण पोषण का कोई साधन नहीं हैं। उसके पिता का भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी पुत्री [redacted] का भरण पोषण कर सके।

4. दूसरी ओर, विपक्षी पंचायत में वार्ड सदस्य है। वह आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति है तथा विपक्षी गाँव में रहकर खस्सी—बकड़ी की खरीद फरोखत कर मासिक 20,000—25,000 / — रुपया की निजी आमदनी है साथ ही खेती—वाड़ी से भी सलाना लगभग एक लाख से अधिक की आमदनी है। इसके विपरीत, आवेदिका को अपनी समुचित भरण पोषण की व्यवस्था नहीं होने पर भुखमरी की शिकार हो सकती है।

अतः न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि इस मंहगाई के समय में एक व्यक्ति के लिये भरण पोषण दवा कपड़ा आदि का उचित मुल्यांकन करते हुए विपक्षी से भरण पोषण हेतु राशि दिलाया जाय।

<u>विपक्षी का वाद</u>

5. विपक्षी [redacted] द्वारा दिनांक—19.04.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर / कारण पृच्छा के माध्यम से कथन किया गया है कि प्रस्तुत भरण—पोषण वाद में वर्णित उन तमाम कथन को विपक्षी इन्कार करते हैं सिवाय उन कथनों के जिसे इस लिखित जबाब में साफ—साफ व स्पष्ट रूप से कबूल व मंजूर किये है। आवेदिका को प्रस्तुत वाद दायर करने का न तो कोई कानूनी अधिकार था और न है। आवेदिका का मुकदमा वेभर के सिद्धान्त से पीड़ित रहने के कारण खारिज करने योग्य है। प्रस्तुत भरण—पोषण आवेदन आवेदिका के कंडिका 01 में वर्णित कथन को विपक्षी विरोध नही करता है। प्रस्तुत भरण—पोषण आवेदन के कंडिका 02 में वर्णित बातें आंशिक रूप से गलत एवं आशिंक रूप से सही है। असत्य कथन यह हैं कि विपक्षी की पहली पत्नी [redacted] कभी भी बीमार रहा नहीं करती थी वह अपने पति [redacted] को अपने जाल में फंसा लिया तब लाचार होकर सरियत के अनुसार वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से निकाह किया था। वह निकाह के बाद से ही अपने पति [redacted] पर अलग होने का दबाब बनाने लगी जिसे विपक्षी ने नहीं माना तो आवेदिका द्वारा दहेज अधिनियम के अन्तर्गत अपर मुख्य

न्यायिक दण्डाधिकारी वीरपुर के न्यायालय में 36सी0 / 2019 अपने पति [redacted] के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दिया।

6. विपक्षी का आगे कथन है कि प्रस्तुत भरण—पोषण आवेदन के कंडिका 03 में वर्णित तथ्य झूठा एवं मनगढन्त हैं सही कथन यह हैं कि आवेदिका निकाह के उपरान्त ही विपक्षी पर दबाब बनाने लगी कि वह अपनी पहली पत्नी [redacted] एवं अपनी माता को छोड़कर दुसरी पत्नी [redacted] के साथ आवेदिका के पिता के घर पर रहे जिसके लिए विपक्षी तैयार नही हुआ तो वह परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया जिससे तंग आकर विपक्षी ने अपने ससुराल वाले की इस बात की सूचना दिया वे लोग भी विपक्षी को ही प्रताड़ित करने लगे और धमकी देने लगे कि आवेदिका जैसा कहती है वैसा करो नही तो जेल में चक्की पीसते रहोगे। वे लोगों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह समाज के लोगों का एक पंचायत बैठाया उस पंचायत में यह जानकारी हुई कि आवेदिका ने विपक्षी एवं उसकी पहली पत्नी [redacted] तथा भाई पर अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वीरपुर के न्यायालय में 36सी0 / 2019 अन्दर धारा 498 (ए०) भा०द०वि० का मुकदमा दायर करवा दिया हैं तो उसी पंचायती में यह फैसला हुआ की दोनों अब अलग—अलग रहा करेंगे। उस पंचायत में ही आवेदिका ने मुस्लिम रीति के अनुसार अहदनामा लिखकर मो0 1,50,000 / — रू0 पाकर जिसमें देन मेहर व इदत्त खर्च आदि को मिलाकर पंचो के समक्ष दुसरी पत्नी [redacted] को तलाक दे दिया गया और दोनों के बीच समाजिक स्तर से विवाह—विच्छेद सरियत के अनुसार हो गया।

7. विपक्षी का आगे कथन है कि दिनांक—29.12.2018 को पंचायती हो जाने के बाद आवेदिका ने जब अहदनामा लिखकर विपक्षी से निकाह को समाप्त कर लिया तो मुस्लिम रीति के अनुसार आवेदिका भरण—पोषण पाने के लिए मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती हैं और न ही उसे ऐसा करने का कोई अधिकार सरियत देता है। यदि वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को तलाक दिया होता तब आवेदिका भरण—पोषण पाने के उत्तरदायी रहती है। सामाजिक स्तर पर हुए पंचायत एवं परिवादनी द्वारा विपक्षी के पक्ष में लिखा गया अहदनामा के अवलोकनों उपरान्त विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर ने दिनांक—16.05.2019 को 36सी0 / 2019 मुकदमा में विपक्षीगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया और अपने आदेश के उपर से 25 वीं लाईन में स्पष्ट लिखा हैं कि ''धार्मित रीति के अनुसार दोनों के बीच निकाह विच्छेद हो गया। आवेदिका को 1,50,000 / — रू० देन मेहर इदत्त खर्च आदि नगद पंचों के समक्ष विपक्षी द्वारा दिया गया और वह अपने नैहर चली गई। जब मुकदमा दर्ज करने के बाद आवेदिका ने स्वयं अहदनामा लिखकर दे दिया तब आवेदिका को सरियत के अनुसार भरण—पोषण पाने का अधिकार ही नहीं बनता है।

8. विपक्षी का आगे कथन है कि प्रस्तुत भरण—पोषण आवेदन के कंडिका 04 में वर्णित वातें गलत झूठा एवं मनगढन्त है सही कथन यह हैं कि वह अपने पति के संबंध में शादी शुदा, जानते हुए भी अपने प्रेम जाल में फंसाया और दोनों के बीच नाजायज संबंध स्थापित हो गया इस बात की जानकारी होने पर समाज के लोगो द्वारा दोनों का निकाह करवा दिया गया परन्तु आवेदिका का तन का भूख काफी रहने के कारण वह गैर मर्दो के साथ भी सम्पर्क में रहने लगी जिसका विरोध विपक्षी पति द्वारा जब किया गया तो वह अपने विपक्षी पति द्वारा उसकी पहली पत्नी [redacted] के खाने में जहर मिलाकर दिलाने का प्रयास किया वह खाना घर में रखे पालतू मुर्गा—मुर्गी ने खाया और वह तुरन्त मर गया जिसको लेकर एक पंचायत पुनः

वैठाया गया तो वह पंचों के समक्ष ही अपने विपक्षी पति को जान से मारने की धमकी दे डाली तब समाज के लोगों के द्वारा दोनों के बीच संबंध विच्छेद करने का सुझाव दिया गया तब आवेदिका ने मो0 1,50,000/–रू० लेकर विपक्षी को अहदनामा खिलकर दे दिया।

9. विपक्षी का आगे कथन है कि प्रस्तुत भरण–पोषण में कंडिका 05 में वर्णित तथ्य गलत, झूठा तथा मनगढन्त है। प्रस्तुत भरण–पोषण आवेदन के कंडिका 06 में वर्णित तथ्य गलत, झूठा तथा मनगढन्त हैं सही कथन यह हैं कि आवेदिका एवं आवेदिका के पिता का यह एक धंधा हैं कि सीधे साधे लोगों को फँसाओ और अपना उल्लू सीधा करो। प्रस्तुत भरण–पोषण आवेदन के कंडिका 07 में वर्णित तथ्य गलत, झूठा तथा मनगढन्त है। सही कथन यह हैं कि विपक्षी पूर्व में वार्ड सदस्य था परन्तु वह दैनिक मजदुर हैं उसका कोई अपना खेतीबारी नही हैं और न कोई रोजगार है वह दैनिक मजदूरी पर नेपाल तक काम करता है। कंडिका 08 में वर्णित वातों की जानकारी विपक्षी को नहीं हैं आवेदिका अपने कथन को न्यायालय में खुद सिद्ध करे।

अतः न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि प्रस्तुत भरण–पोषण वाद को खर्चा के साथ खारिज किया जाय।

<u>प्रकियात्मक इतिहास</u>

10. दिनांक 15 फरवरी 2019 को आवेदिका [redacted] की ओर से अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से शपथ पत्र के साथ धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण–पोषण हेतु आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आवेदन और संलग्न अभिलेखों का प्राथमिक अवलोकन करने के उपरांत दिनांक 22 फरवरी 2019 को इस वाद को विचारण हेतु विधिवत रूप से ग्रहण कर लिया गया और विपक्षी [redacted] की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रथम दृष्टया नोटिस निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। वर्ष 2019 के मध्य और अंत तक न्यायालय द्वारा विपक्षी पर नोटिस की तामिला के निरंतर प्रयास किए गए। दिनांक 07 मई 2019, 23 अगस्त 2019 और 01 अक्टूबर 2019 की तिथियों पर आवेदिका द्वारा विपक्षी को नोटिस तामिल कराने हेतु आवश्यक तलवाना और पैरवी दाखिल की गई, परंतु विपक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से बचता रहा। न्यायालय ने विपक्षी की टालमटोल की प्रवृत्ति को देखते हुए दिनांक 26 फरवरी 2020 को विपक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पंजीकृत डाक से नोटिस निर्गत करने का कड़ा निर्देश दिया और आवेदिका को उचित पैरवी करने का आदेश दिया। इसी बीच, वर्ष 2020 के प्रारंभ में वैश्विक कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप प्रारंभ हो गया, जिसने संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर दिया। दिनांक 12 अगस्त 2020 के आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अंकित किया कि वैश्विक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण न्यायालयीन कार्य और अभिलेखों की सामान्य सुनवाई बाधित है, जिसके परिणामस्वरूप वाद को केवल अगली तिथि के लिए विस्तारित कर दिया गया। यह महामारी जनित विलंब वर्ष 2020 और 2021 के अधिकांश भाग तक बना रहा। दिनांक 29 जनवरी 2021, 12 मार्च 2021 और 26 अगस्त 2021 की तिथियों पर न्यायालय ने बार–बार विपक्षी पर तामिला प्रतिवेदन की समीक्षा की, परंतु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।

11. जब सामान्य समन और पंजीकृत डाक से तामिला के सभी प्रयास विफल सिद्ध हुए, और न्यायालय को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि विपक्षी जानबूझकर न्यायालय की प्रक्रिया से बच रहा है, तब न्यायालय ने दिनांक 15 सितंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इस

आदेश के तहत न्यायालय ने आवेदिका को 'दैनिक जागरण' नामक दैनिक समाचार पत्र में गजट प्रकाशन के माध्यम से विपक्षी को समन तामिला कराने की विशेष अनुमति प्रदान की। इसके अनुपालन में, दिनांक 09 नवंबर 2023 को आवेदिका द्वारा 'दैनिक जागरण' के 05 अक्टूबर 2023 के संस्करण में प्रकाशित नोटिस की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने इस गजट प्रकाशन को विधिक रूप से वैध तामिला मानते हुए विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने का अंतिम अवसर प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप, अंततः दिनांक 15 जनवरी 2024 को विपक्षी [redacted] न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने अपना वकालतनामा दाखिल करने हेतु समय की मांग की। दिनांक 09 फरवरी 2024 को विपक्षी की ओर से विधिवत रूप से वकालतनामा दाखिल किया गया। पारिवारिक विवादों की संवेदनशील प्रकृति और परिवार न्यायालय अधिनियम के मूल उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के मध्य सुलह कराने का प्रयास किया। दिनांक 03 मई 2024 को दोनों पक्षकार व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उनकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान, आवेदिका [redacted] ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया कि वह अपने पति (विपक्षी) के साथ जाने और दांपत्य जीवन व्यतीत करने के लिए पूर्णतः तैयार है। परंतु, इसके विपरीत विपक्षी [redacted] ने आवेदिका को अपने साथ रखने से स्पष्ट रूप से और कठोरतापूर्वक इंकार कर दिया। विपक्षी ने न्यायालय के समक्ष यह कथन दिया कि चूँकि आवेदिका उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने आवेदिका को 'तलाक' (Talaq) दे दिया है और मेहर की राशि तथा अन्य खर्चों को मिलाकर कुल 1,50,000/– रुपये का भुगतान एक अहदनामा (समझौता पत्र) के माध्यम से कर दिया है। इस कारण से, वह न तो आवेदिका को अपने साथ रखेगा और न ही आवेदिका किसी भी प्रकार के भरण–पोषण की अधिकारिणी है। चूँकि विपक्षी आवेदिका को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करने हेतु सहमत नहीं था, न्यायालय द्वारा सुलह प्रक्रिया को अंतिम रूप से विफल घोषित किया गया और वाद को साक्ष्य संकलन हेतु नियत कर दिया।

12. सुलह विफल होने के पश्चात्, जून 2024 से साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ हुआ। आवेदिका [redacted] की ओर से कुल तीन गवाहों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिनका परीक्षण एवं विस्तृत प्रतिपरीक्षण क्रमशः 28 जून 2024, 03 जनवरी 2025 और 06 दिसंबर 2024 को पूर्ण हुआ। आवेदिका के साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत, विपक्षी की ओर से बचाव साक्ष्य की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विपक्षी की ओर से कुल छह गवाहों का साक्ष्य 16 मई 2025 से 07 मई 2026 के मध्य दर्ज किया गया। साक्ष्य प्रक्रिया के दौरान विपक्षी द्वारा कई बार अनावश्यक विलंबकारी आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया। उदाहरणार्थ, दिनांक 17 मार्च 2026 और 10 अप्रैल 2026 को विपक्षी द्वारा गवाह प्रस्तुत न करने पर न्यायालय ने विपक्षी पर 3,000/– रुपये का आर्थिक जुर्माना भी अधिरोपित किया, ताकि वाद का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। साक्ष्य की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात, दिनांक 11 मई 2026 को दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत और अंतिम बहस न्यायालय द्वारा सुनी गई और अंततः इस प्रकरण को निर्णय उद्घोषित करने हेतु दिनांक 06 जून 2026 की तिथि के लिए सुरक्षित रख लिया गया।

आवेदिका का बहस

13. बहस के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि साक्षियों ने आवेदिका के वाद का पूर्ण रूप से समर्थन किये हैं। आवेदिका के साक्षियों का साक्ष्य अकाट्य, अटूट है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदिका ने अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रही हैं और आवेदिका को उचित भरण—पोषण की राशि मिलना अतिआवश्यक है।

विपक्षी का बहस

14. विपक्षी का कथन है कि आवेदिका को प्रस्तुत वाद दायर करने का न तो कोई कानूनी अधिकार था और न है। आवेदिका का मुकदमा वेभर के सिद्धान्त से पीड़ित रहने के कारण खारिज करने योग्य है। प्रस्तुत भरण—पोषण आवेदन के कंडिका 02 में वर्णित बातें आंशिक रूप से गलत एवं आशिंक रूप से सही है। असत्य कथन यह हैं कि विपक्षी की प्रथम पत्नी [redacted] कभी भी बीमार रहा नहीं करती थी वह अपने पति [redacted] को अपने जाल में फॅसा लिया तब लाचार होकर सरियत के अनुसार वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से निकाह किया था। वह निकाह के बाद से ही अपने पति [redacted] पर अलग होने का दबाब बनाने लगी जिसे विपक्षी ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया तो आवेदिका द्वारा दहेज अधिनियम के अन्तर्गत अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वीरपुर के न्यायालय में 36सी0/2019 अपने पति [redacted] के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दिया।

15. विपक्षी का आगे कथन है कि प्रस्तुत भरण—पोषण आवेदन के कंडिका 03 में वर्णित तथ्य झूठा एवं मनगढन्त हैं सही कथन यह हैं कि आवेदिका निकाह के उपरान्त ही विपक्षी पर दबाब बनाने लगी कि वह अपनी प्रथम पत्नी [redacted] एवं अपनी माता को छोड़कर दुसरी पत्नी [redacted] के साथ आवेदिका के पिता के घर पर रहे जिसके लिए विपक्षी तैयार नही हुआ तो वह परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया जिससे तंग आकर विपक्षी ने अपने ससुराल वाले की इस बात की सूचना दिया तो वे लोग भी विपक्षी को ही प्रताड़ित करने लगे और धमकी देने लगे कि आवेदिका जैसा कहती है वैसा करो नही तो जेल में चक्की पीसते रहोगे। वे लोग के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह समाज के लोगों का एक पंचायत बैठाया उस पंचायत में विपक्षी को यह जानकारी हुई कि आवेदिका द्वारा विपक्षी एवं उसकी प्रथम पत्नी [redacted] तथा भाई पर अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी वीरपुर के न्यायालय में 36सी0/2019 अन्दर धारा 498 (ए०) भा०द०वि० का मुकदमा दायर करवा दिया हैं तो उसी पंचायती में यह फैसला हुआ की दोनों अब अलग—अलग रहा करेंगे। उस पंचायत में ही आवेदिका ने मुस्लिम रीति के अनुसार अहदनामा लिखकर मो0 1,50,000/— रू0 पाकर जिसमें देन मेहर व इदत्त खर्च आदि को मिलाकर पंचो के समक्ष दुसरी पत्नी [redacted] को तलाक दे दिया गया और दोनों के बीच समाजिक स्तर से विवाह—विच्छेद सरियत के अनुसार हो गया।

16. विपक्षी का आगे कथन है कि दिनांक—29.12.2018 को पंचायती हो जाने के बाद आवेदिका ने जब अहदनामा लिखकर विपक्षी से निकाह को समाप्त कर लिया तो मुस्लिम रीति के अनुसार आवेदिका भरण—पोषण पाने के लिए मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती हैं और न ही उसे ऐसा करने का कोई अधिकार सरियत देता है। यदि वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को तलाक दिया होता तब आवेदिका भरण—पोषण पाने के उत्तरदायी रहती है। सामाजिक स्तर

पर हुए पंचायत एवं परिवादनी द्वारा विपक्षी के पक्ष में लिखा गया अहदनामा के अवलोकनों उपरान्त विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर ने दिनांक–16.05.2019 को 36सी0 / 2019 मुकदमा में विपक्षीगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया और अपने आदेश के उपर से 25 वीं लाईन में स्पष्ट लिखा हैं कि ''धार्मित रीति के अनुसार दोनों के बीच निकाह विच्छेद हो गया। आवेदिका को 1,50,000 / – रू० देन मेहर व इदत्त खर्च आदि नगद पंचों के समक्ष विपक्षी द्वारा दिया गया और वह अपने नैहर चली गई। जब मुकदमा दर्ज करने के बाद आवेदिका ने स्वयं अहदनामा लिखकर दे दिया तब आवेदिका को सरियत के अनुसार भरण–पोषण पाने का अधिकार ही नहीं बनता है।

विश्लेषण, विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण

आवेदिका की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य

17. आवेदिका के वाद को प्रमाणित करने हेतु कुल तीन गवाहों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया है:–

(i) आवेदिका साक्षी सं0–1: [redacted] (आवेदिका सं0–01 का भाई)

(ii) आवेदिका साक्षी सं0–2: [redacted] (आवेदिका सं0–01 का पिता)

(iii) आवेदिका साक्षी सं0–3: [redacted] (स्वंय आवेदिका सं0–01)

18. आवेदिका साक्षी संख्या–1 [redacted] हैं। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि प्रस्तुत वाद की आवेदिका [redacted] साक्षी का बहन है। प्रस्तुत वाद वह अपने भरण–पोषण हेतु अपने पति [redacted] पर की है। उसकी निकाह विपक्षी के साथ दिनांक–01.02.2017 को मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार देन मेहर का रकम 21,000 / – देकर सम्पन्न हुआ था। निकाह के उपरांत वह अपने पति [redacted] के साथ अपने ससुराल अर्थात् आवेदिका का ससुराल अपने गांव में ही है, गई। विपक्षी पूर्व से शादी शुदा था। उसकी पहली पत्नी [redacted] बराबर बीमार रहा करती थी इसी कारण से विपक्षी एवं उसके परिवार के सदस्यो द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर आवेदिका [redacted] के परिवार के लोगों द्वारा विपक्षी के साथ निकाह के लिये तैयार हो गये, तदनुसार निकाह सम्पन्न हुआ।

19. [redacted] का आगे कथन है कि ससुराल जाने के उपरान्त वह अपने ससुराल में एक वर्ष तक ठीक–ठाक रही। इसी दौरान उसकी पहली पत्नी [redacted] ईलाज कराने पर ठीक हो गई। उसके बाद इनका [redacted] का आरोप है कि विपक्षी का लगाव पहली पत्नी [redacted] के साथ बढ़ने लगा और वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से दुरी बनाने लगा। कुछ दिनों के बाद विपक्षी एवं उसकी पहली पत्नी [redacted] के द्वारा अथार्त दोनों मिलकर आवेदिका के साथ विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने लगे तथा वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को अपने पिता से एक लाख रुपया मॉग कर लाने का दबाब बनाने लगे। इनका [redacted] का आगे आरोप है कि प्रस्तुत भरण–पोषण वाद दाखिल करने से लगभग चार महीना पूर्व विपक्षी एवं सौतन मिलकर आवेदिका के खाने में विष मिलाकर जर्वदस्ती खिलाने का प्रयास किया। इस घटना की जानकारी मिलने पर आवेदिका के पिता एवं उसके परिवार के द्वारा समाजिक स्तर पर पंचायत बैठाया गया तथा उस पंचायत में वह आश्वासन दिया कि दुबारा ऐसी घटना नहीं होगी। पंचायत के कुछ दिनों तक वह ठीक से रही तथा उसके बाद

पुनः वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से एक लाख रूपया लाने हेतु प्रताड़ित व मारपीट करने लगे तथा वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] का सामान छीनकर अपने घर से निकाल दिये। आवेदिका एक गरीब औरत है और उसे अपने जीवन—बसर व भरण—पोषण का कोई अन्य साधन नहीं है जबकि आवेदिका के पिता बुढ़े एवं बीमार व्यक्ति है तथा उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी पुत्री [redacted] का भरण—पोषण कर सके।

20. दूसरी ओर, विपक्षी वर्तमान में पंचायत में उपमुखिया है तथा वह आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न व्यक्ति है तथा विपक्षी खेती—बाड़ी करता है तथा वह अपने गॉव में ही गोटरी फार्म चलाता है उससे उसे 3,00,000 / — रुपया से ज्यादा आमदनी होती है। इसके विपरीत, आवेदिका को अपनी समुचित भरण पोषण की व्यवस्था नहीं होने पर भुखमरी की शिकार हो सकती है।

21. इस साक्षी ने विपक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि आवेदिका [redacted] साक्षी का बड़ी बहन है। साक्षी का शपथ पत्र साक्षी के कहने के अनुसार वकील साहब ने तैयार किया है। साक्षी ने शपथ पत्र तैयार होने के समय अपनी उम्र बतायी थी। शपथ पत्र साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। शपथ पत्र में साक्षी की उम्र लिखी हुई है। वह अपने विपक्षी पति के विरूद्ध वीरपुर न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा किया था। उक्त मुकदमा का केस नंबर साक्षी को याद नहीं है। उक्त मुकदमा में भी साक्षी ने गवाही दिया था। प्रस्तुत वाद के आवेदन में आवेदिका वीरपुर न्यायालय में किये गये केस का जिक्र नही किया है।

22. [redacted] का आगे कथन है कि विपक्षी को अपनी पहली पत्नी से कितने बच्चे है इसकी जानकारी साक्षी को नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वह यह बात को छुपा रहा है कि विपक्षी का आवेदिका से निकाह के समय विपक्षी को अपनी प्रथम पत्नी से सात बच्चे थे। दिनांक—29.12.2018 को आवेदिका तथा विपक्षी को लेकर गॉव में कोई पंचायती नहीं हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि दिनांक—29.12.2018 को गांव में पंचायती हुई थी जिसमें आवेदिका ने अहदानामा कर एक लाख इक्यावन हजार रुपया प्राप्त कर अपना निकाह विपक्षी से विच्छेद कर लिया था। ऐसी बात नहीं है कि उसी अहदानामा के आधार पर विपक्षी को आवेदिका द्वारा वीरपुर न्यायालय में किये गये केस में जमानत मिली थी।

23. [redacted] का प्रतिपरीक्षण में आगे कथन है कि साक्षी एवं विपक्षी के घर की दूरी लगभग एक कि0मी0 है। आवेदिका ने प्रस्तुत वाद में अपने निकाह का निकाहनामा दाखिल किया है। विपक्षी [redacted] चार भाई है सभी भाई एक साथ रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि विपक्षी अपने भाईयों से अलग रहता है। विपक्षी की पहली पत्नी [redacted] को कौन—सी बीमारी थी यह साक्षी नहीं बता सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आवेदिका ने दिनांक—29.12. 2018 को अहदानामा लिखकर तथा विपक्षी से एक लाख इक्यावन हजार रुपया पाकर विपक्षी से विच्छेद कर लिया और प्रस्तुत झूठा मुकदमा दाखिल कर दिया।

24. आवेदिका साक्षी संख्या—2 [redacted] हैं। इन्होंने अपने शपथ—पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि प्रस्तुत वाद की आवेदिका [redacted] साक्षी का पुत्री है। प्रस्तुत वाद वह अपने भरण—पोषण हेतु अपने पति [redacted] पर की है। उसकी निकाह अपने गॉव के रहने वाले विपक्षी [redacted] के साथ दिनांक—01.02.2017 को मुस्लिम रीति—रिवाज के अनुसार देन मेहर का रकम 21,000 / — को देकर सम्पन्न हुआ था।

निकाह के उपरांत वह अपने पति [redacted] के साथ अपने ससुराल गई। विपक्षी पूर्व से शादी शुदा था। उसकी पहली पत्नी [redacted] बराबर बीमार रहा करती थी, इसी कारण से विपक्षी एवं उसके परिवार के सदस्यो द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर आवेदिका [redacted] से उसका सहमति लेकर आवेदिका के पिता एवं आवेदिका के परिवार के लोगों द्वारा विपक्षी के साथ निकाह के लिये तैयार हो गये, तदनुसार निकाह सम्पन्न हुआ।

25. [redacted] का आगे कथन है कि ससुराल जाने के उपरान्त वह अपने ससुराल में एक वर्ष तक ठीक–ठाक से रखा। इसी दौरान उसकी पहली पत्नी [redacted] के स्वास्थ्य में सुधार हुआ उसके बाद इनका [redacted] का आरोप है कि वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से दुरी बनाने लगा। कुछ दिनों के बाद विपक्षी एवं उसकी पहली पत्नी [redacted] के द्वारा अथार्त दोनों मिलकर आवेदिका के साथ विभिन्न तरह से प्रताड़ित करने लगे तथा वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को अपने पिता से एक लाख रुपया मॉग कर लाने का दबाब बनाने लगे।

26. [redacted] का आगे आरोप है कि प्रस्तुत भरण–पोषण वाद दाखिल करने से लगभग चार महीना पूर्व विपक्षी एवं सौतन मिलकर आवेदिका के खाने में विष मिलाकर जर्वदस्ती खिलाने का प्रयास किया। इस घटना की जानकारी मिलने पर आवेदिका के पिता एवं उसके परिवार के द्वारा समाजिक स्तर पर पंचायत बैठाया गया तथा उस पंचायत में वह आश्वासन दिया कि दुबारा ऐसी घटना नहीं होगी। पंचायत के बाद कुछ दिनों तक वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को ठीक से रखा तथा उसके बाद पुनः वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से एक लाख रूपया लाने हेतु प्रताड़ित व मारपीट करने लगे तथा वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] का सामान छीनकर अपने घर से निकाल दिये। आवेदिका एक गरीब औरत है और उसे अपने जीवन–बसर व भरण–पोषण का कोई अन्य साधन नहीं है जबकि आवेदिका के पिता भी बुढ़े एवं बीमार व्यक्ति है तथा उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी पुत्री [redacted] का भरण–पोषण कर सके।

27. दूसरी ओर, विपक्षी वर्तमान में पंचायत में उपमुखिया है तथा वह आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न व्यक्ति है तथा वह खेती–बाड़ी करता है तथा विपक्षी अपने गॉव में ही गोटरी फार्म चलाता है उससे उसे लगभग 3,00,000–4,00,000 / – रुपया सलाना की आमदनी होती है। इसके विपरीत, आवेदिका को अपनी समुचित भरण पोषण की व्यवस्था नहीं होने पर भुखमरी की शिकार हो सकती है।

28. इस साक्षी ने विपक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि आवेदिका की शादी आवेदिका के पिता के रजामन्दी से हुई थी। विपक्षी पूर्व से ही शादी–शूदा था। विपक्षी को प्रथम पत्नी से बाल–बच्चे भी थें। आवेदिका की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। विपक्षी दामाद को प्रथम पत्नी से चार–पांच बच्चें हैं। आवेदिका को बाल–बच्चे नहीं है। पंचायत हुई थी। कुछ दिन तक ठीक–ठाक से रखा उसके बाद मारपीट कर आवेदिका को विपक्षी भगा दिया। पंचायती में साक्षी मौजूद था। ऐसी बात नहीं है कि पंचायती हुई थी जिसके निर्णय के अनुसार वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को देन मेहर एवं इहत खर्च के रूप में 1,50,000 / – रुपया दिया तथा तलाक लिया। कागज नही बना था। पंचनामा पर आवेदिका के पिता एवं आवेदिका ने हस्ताक्षर नहीं किया है।

29. [redacted] का प्रतिपरीक्षण में आगे कथन है कि विपक्षी के पास एक बीगहा जमीन है। गौट्री फार्म क्या होता है वह नही जानता है। गवाही का कागज वकील साहब द्वारा तैयार करवाया है जिसमें क्या लिखी है इसकी जानकारी है। साक्षी पढ़ा नहीं है जो लिखवाया था वकील साहब पढ़ कर बताये थें। ऐसी बात नहीं है कि आवेदिका ने पंचायत के माध्यम से विपक्षी से पति–पत्नी का रिश्ता तोड़ दिया है जिसका पंचनामा बना है जिसपर आवेदिका के पिता और आवेदिका ने हस्ताक्षर किया है। ऐसी बात नहीं है कि साक्षी न्यायालय में असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदिका विपक्षी से तलाक लेना चाहती है कि नही यह साक्षी नहीं बता सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आवेदिका ने झूठा मुकदमा किया है और आवेदिका के पिता झूठी गवाही दी है।

30. आवेदिका साक्षी संख्या–3 [redacted] हैं। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि प्रस्तुत वाद की स्वंय आवेदिका [redacted] है। प्रस्तुत वाद वह अपने भरण–पोषण हेतु अपने पति [redacted] पर की है। उसकी निकाह विपक्षी के साथ दिनांक–01.02.2017 को मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार देन मेहर का रकम 21,000 / – के साथ सम्पन्न हुआ था। निकाह के उपरांत वह अपने पति [redacted] के साथ अपने ससुराल अर्थात् आवेदिका का ससुराल अपने गांव में ही है, गई। विपक्षी पूर्व से शादी शुदा था। उसकी प्रथम पत्नी [redacted] बराबर बीमार रहा करती थी इसी कारण से विपक्षी एवं उसके परिवार के सदस्यो द्वारा प्रस्ताव दिये जाने पर आवेदिका [redacted] के परिवार के लोगों द्वारा आवेदिका के सहमति से विपक्षी के साथ निकाह के लिये तैयार हो गये, तदनुसार निकाह सम्पन्न हुआ।

31. आगे कथन है कि ससुराल जाने के उपरान्त वह अपने ससुराल में एक वर्ष तक सब ठीक–ठाक रहा। इसी दौरान उसकी पहली पत्नी [redacted] का तबीयत ठीक हो गई। उसके बाद आवेदिका का आरोप है कि विपक्षी का लगाव पहली पत्नी [redacted] के साथ ज्यादा बढ़ने लगा और वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से दुरी बनाने लगा तथा वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को उपेक्षित करने लगा। कुछ दिनों के बाद विपक्षी एवं उसकी पहली पत्नी [redacted] के द्वारा अथार्त दोनों मिलकर आवेदिका के साथ विभिन्न तरह से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को अपने पिता से एक लाख रुपया मॉग कर लाने का दबाब बनाने लगे। इसी दौरान समाजिक स्तर पर पंचायत भी बैठाया गया तथा विपक्षी द्वारा आवेदिका को उस पंचायत में ठीक रखने का आश्वासन दिया गया परन्तु पंचायत के बाद कुछ दिनों तक वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] को ठीक से रखा तथा उसके बाद पुनः वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से एक लाख रूपया लाने हेतु दबाब बनाने लगे और मना करने पर फिर से मारपीट कर व सभी सामान छीन कर अपने घर से भगा दिया। नैहर आने के बाद लाचार होकर आवेदिका द्वारा विपक्षी एवं अन्य के विरूद्ध परिवाद पत्र संख्या–36सी / 2019 अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में दाखिल किया गया जो अभी लंबित है। आवेदिका एक गरीब औरत है और उसे अपने जीवन–बसर व भरण–पोषण का कोई अन्य साधन नहीं है। वर्तमान में वह अपने बीमार एवं बुढ़े पिता के पास रहती है तथा उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी पुत्री [redacted] का भरण–पोषण कर सके। दूसरी ओर, विपक्षी अपने पंचायत का उपमुखिया है तथा वह आर्थिक रूप से काफी सम्पन्न व्यक्ति है तथा विपक्षी

खेती–बाड़ी करता भी है तथा वह अपने गॉव में ही बकरी पालन का व्यवसाय भी करता है उससे उसे 3,00,000–4,00,000 / – रुपया की आमदनी होती है।

32. इस साक्षी ने विपक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि आवेदिका पढ़ी–लिखी नहीं है। आज न्यायालय में जो कागज दाखिल किए है वह आवेदिका ने तैयार कराया है। शपथ पत्र में किए गए कथनों की जानकारी आवेदिका को है। आज से पूर्व कहीं आवेदिका का बयान नहीं हुआ है। वह अपने पति के विरूद्ध वीरपुर में भी मुकदमा किया था जिसका परिवाद संख्या–36सी / 2019 है। उस मुकदमा के पूर्व आवेदिका और विपक्षी के बीच पंचायत हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि आवेदिका पंचायत में विपक्षी के साथ जाने से मना कर दिया था और आवेदिका पंचायत में अतानामा लिख कर दिया था। जिस समय आवेदिका का निकाह विपक्षी के साथ हुआ उस समय विपक्षी को उसकी पहली पत्नी से पांच बच्चें थें। ऐसी बात नहीं है कि वह अपने निकाह के उपरांत अपने पति पर दबाव बनायी थी और अपनी पहली पत्नी को छोड़ दे।

33. आवेदिका का प्रतिपरीक्षण में आगे कथन है कि विपक्षी का सरकारी नौकरी नहीं है बल्कि पंचायत में वार्ड सदस्य है तथा खस्सी–बकरी का कारोबार करता है। विपक्षी को दस कट्ठा जमीन है। वह चार भाई एवं पांच बहन है। विपक्षी की मां जीवित है। ऐसी बात नहीं है कि आवेदिका दबाव बनाकर अपने पति से निकाह किया तथा पंचायत में अतानामा के आधार पर तालाक दे दिया और तलाक देने के दो महीने के बाद उसपर दबाव बनाने के लिए वीरपुर न्यायालय में अपराधिक वाद तथा इस न्यायालय में भरण–पोषण हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि विपक्षी स्वंय अपने बच्चों और आवेदिका का भरण–पोषण में असमर्थ है।

<u>विपक्षी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य</u>

34. विपक्षी ने अपने बचाव को प्रमाणित करने हेतु कुल छः गवाहों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है परन्तु विपक्षी साक्षी [redacted] का गवाही का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत न्यायालय द्वारा विपक्षी का स्वंय का गवाही पहले कराने हेतु निर्देश देते हुए विपक्षी साक्षी सं0–1 [redacted] का गवाह को खारिज किया गया हैः–

(i) विपक्षी साक्षी सं0–1: [redacted] (विपक्षी का ग्राम पंचायत)

(ii) विपक्षी साक्षी सं0–2: [redacted] (स्वंय विपक्षी)

(iii) विपक्षी साक्षी सं0–3: [redacted] (विपक्षी का ग्रामवासी)

(iv) विपक्षी साक्षी सं0–4: [redacted] (विपक्षी का ग्रामवासी)

(v) विपक्षी साक्षी सं0–5: [redacted] (विपक्षी का ग्राम पंचायत)

(vi) विपक्षी साक्षी सं0–6: [redacted] (विपक्षी का ग्रामवासी)

35. विपक्षी साक्षी संख्या–2 [redacted] हैं। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह प्रस्तुत वाद में स्वंय विपक्षी है और आवेदिका को भी पहचानता है जो विपक्षी की दुसरी पत्नी [redacted] थी जो अब तलाकशुदा है। विपक्षी की प्रथम पत्नी कभी लगातार बीमार नही रहा करती थी और निकाह के उपरांत विपक्षी को अपने प्रथम पत्नी [redacted] से नौ संतान है। उसी क्रम में दुसरी पत्नी [redacted] से बातचीत होती थी उसी को आधार बनाकर आवेदिका ने सामाजिक दबाब डालकर अपने विपक्षी पति से जबरन निकाह कर लिया और विपक्षी को यह कहने लगी कि अब अपने बच्चे और अपने प्रथम

पत्नी [redacted] को छोड़कर दुसरी पत्नी [redacted] के साथ आवेदिका के घर पर रहें और विपक्षी नही माना तो वह अपने पिता के घर पर जाकर रहने लगी।

36. विपक्षी का आगे कथन है कि वह अपनी दूसरी पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग होने लगा तो इस बात की जानकारी प्रस्तुत वाद के आवेदिका के भाई एवं पिता को दिया तो वे लोग के द्वारा भी यह धमकी दिया गया कि उसकी बेटी [redacted] जैसा कहती हैं वैसा करो नहीं तो जेल में चक्की पिसते रहना। आवेदिका के पिता एवं भाई तथा दुसरी पत्नी [redacted] के दुर्व्यवहार से तंग होकर विपक्षी ग्राम पंचायत परमानन्दपुर के मुखिया सरपंच एवं गणमान्य व्यक्तियों का एक पंचायत बैठाया उस पंचायत में विपक्षी को यह जानकारी हुई कि आवेदिका द्वारा विपक्षी एवं विपक्षी के भाई तथा प्रथम पत्नी [redacted] के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में परिवाद पत्र सं0—36सी0 / 2019 मुकदमा दायर की है। उस पंचायत में ही आवेदिका ने देन मेहर के साथ—साथ इद्दत के खर्च को मिलाकर 1,50,000 / — रू० लेकर पंचो के समक्ष विवाह विच्छेद कर लिया। आवेदिका एवं विपक्षी पति के बीच तलाक हो जाने के उपरांत परिवाद पत्र सं0—36सी0 / 2019 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर ने दिनांक—16.05.2019 को परिवाद पत्र सं0—36सी0 / 2019 में विपक्षी को जमानत दिया है।

37. विपक्षी का आगे कथन है कि उसके 25वें लाईन में स्पष्ट कथन किया है कि ''धार्मिक रीति के अनुसार दोनों के बीच विवाह विच्छेद हो गया है। विपक्षी प्रस्तुत वाद में दिनांक—16.05.2025 को मूल अतानामा दिनांक—29.12.2018 जो उर्दु में लिखा गया है वह मौलवी [redacted] की लिखावट में हैं तथा हिन्दी रूपांतरण भी [redacted] द्वारा किया गया है उस अतानामा पर आवेदिका एवं विपक्षी का हस्ताक्षर है तथा गवाह के रूप में स्थानीय मुखिया [redacted], सरपंच [redacted] तथा आवेदिका के पिता [redacted] के साथ—साथ अन्य गवाहों का भी हस्ताक्षर है जो पंचायत में विपक्षी के सामने किया गया है का हिन्दी रूपान्तरण के साथ विपक्षी ने सबूत के तौर पर दाखिल किया है। विपक्षी अतानामा पर के सभी लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचानता है इसे प्रदर्श ''ए'' के रूप में अंकित किया जाय।

38. इस साक्षी ने आवेदिका की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि विपक्षी मौजा परमानन्दपुर पंचायत का निवासी है और वह उक्त पंचायत का उपमुखिया नही है। विपक्षी किसी भी पंचायत का उपमुखिया नहीं है। वह मजदूरी करता है। अभी तक विपक्षी दो शादियां की है। आवेदिका उसकी दूसरी पत्नी थी। प्रथम पत्नी से शादी वर्ष 2002 में किया था। आवेदिका से विपक्षी वर्ष 2017 में शादी की थी। प्रथम पत्नी से विपक्षी को नौ बच्चे है। सबसे बड़े पुत्र का उम्र लगभग 21 वर्ष है एवं सबसे छोटे पुत्र का उम्र—04 वर्ष है।

39. विपक्षी का प्रतिपरीक्षण में आगे कथन है कि आवेदिका के साथ पति—पत्नी के रुप में विपक्षी का एक माह तक संबंध रहा है। आवेदिका से विपक्षी की शादी राजी—खुशी से नही हुई थी। आवेदिका के साथ शादी के पूर्व आपसी बात—चीत थी और आवेदिका के यहां आना—जाना था तब आवेदिका विपक्षी पर दवाब बनायी कि अगर वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से निकाह नही करेंगे तब विपक्षी पर बलात्कार का मुकदमा दायर कर देंगीं, मारेंगी, पीटेंगी तथा इसी घमकी के कारण वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से शादी कर लिया। आवेदिका ने विपक्षी को कभी भी बलात्कार में मुकदमा में फॅसाने की धमकी नहीं दी थी बल्कि वह अपने पति [redacted] को मारपीट की घमकी देती थी। आवेदिका अपने पति [redacted] को जबरन

शादी करने के लिए मार—पीट करने की धमकी देती थी। वह अपने पति [redacted] से शादी के पूर्व कुंवारी थी। शादी के पूर्व वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] के घर कभी नहीं गया था। आवेदिका एवं विपक्षी के घर के बीच की दूरी आधा किलोमीटर है। शादी होने के पूर्व वह अपनी दुसरी पत्नी [redacted] से कभी भी बातचीत नहीं की है। आवेदिका भी शादी के पूर्व कभी भी अपने पति [redacted] के घर नहीं आयी थी।

40. विपक्षी का प्रतिपरीक्षण में आगे कथन है कि विपक्षी को अपने नौ बच्चों एवं प्रथम पत्नी तथा स्वयं के खर्च के लिए मासिक दस हजार रुपया लगता है। विपक्षी को खेती—बाड़ी नहीं है। वह राजमिस्त्री है और वह पेटिंग का भी काम करता है। राजमिस्त्री या पेन्टर के रुप में विपक्षी को 600 / — रुपया एक दिन के मजदूरी के रुप में प्राप्त होती है। इनका [redacted] का आगे कथन है कि विपक्षी अपनी दुसरी पत्नी को तलाक नही दिया है। दुसरी पत्नी ने स्वयं विपक्षी से तलाक ले लिया है। विपक्षी को उसकी पत्नी ने वर्ष 2019 में [redacted] के दरवाजे पर तलाक दी थी। [redacted] मुस्लिम धार्मिक गुरु है। मुखिया सरपंच एवं स्थानीय लोगों द्वारा आवेदिका एवं विपक्षी दोनों पति—पनि को अलग कर दिया गया है। इस मुकदमा के अतिरिक्त आवेदिका ने विपक्षी के विरुद्ध वीरपुर न्यायालय में आपराधिक मुकदमा किया है जिसमें विपक्षी को जमानत प्राप्त है। उक्त मुकदमा विपक्षी के विरुद्ध आवेदिका ने प्रताड़ना कारित करने के आरोप लगाकर किया है। विपक्षी ने वीरपुर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन के कंडिका—9 में यह दर्ज नही कराया है कि विपक्षी आवेदिका को हलाला के बाद रखने के लिए तैयार है। विपक्षी पंचायत में आवेदिका को डेढ़ लाख रुपया एक मुश्त भरण—पोषण के रुप में दिया था। उक्त रुपया में लगभग 25—30 हजार रुपया बचत का था एवं बाकि रुपया अन्य किसी से कर्ज लेकर दिया था। ऐसी बात नहीं है कि आतानामा पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है तथा वह उर्दू में हस्ताक्षर करना नहीं जानती है। ऐसी बात नहीं है कि विपक्षी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया आतानामा जाली और फर्जी है। आवेदिका को अपना आय का श्रोत नहीं है वह अपने माता—पिता पर आश्रित है। ऐसी बात नहीं है कि न्यायालय में वह झूठी गवाही दिया है।

41. विपक्षी साक्षी संख्या—3 [redacted] हैं। इन्होंने अपने शपथ—पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह प्रस्तुत वाद के विपक्षी का गॉव का है और आवेदिका को भी पहचानता है जो अब तलाकशुदा है। विपक्षी की प्रथम पत्नी के साथ विपक्षी की दुसरी पत्नी [redacted] साजिस रचकर सामाजिक दबाब डालकर अपने विपक्षी पति से जबरन निकाह कर लिया और विपक्षी को यह कहने लगी कि अब वह अपने बच्चे और अपने प्रथम पत्नी [redacted] को छोड़ दो तब वह अपने पति के साथ रहेंगें और सारी कमाई आवेदिका को चाहिए।

42. [redacted] का आगे कथन है कि वह अपनी दूसरी पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग होने लगा तो इस बात की जानकारी प्रस्तुत वाद के आवेदिका के भाई एवं पिता को दिया तो वे लोग के द्वारा भी यह धमकी दिया गया कि आवेदिका [redacted] जैसा कहती हैं वैसा करो नहीं तो जेल में चक्की पिसते रहना। आवेदिका के पिता एवं भाई तथा दुसरी पत्नी [redacted] के दुर्व्यवहार से तंग होकर विपक्षी ग्राम पंचायत परमानन्दपुर के मुखिया सरपंच एवं गणमान्य व्यक्तियों का एक पंचायत बैठाया उस पंचायत में विपक्षी को यह जानकारी हुई कि आवेदिका द्वारा विपक्षी एवं विपक्षी के भाई तथा प्रथम पत्नी [redacted] के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में परिवाद पत्र सं0—36सी0 / 2019 मुकदमा दायर

की है। उस पंचायत में ही आवेदिका ने देन मेहर के साथ–साथ इद्दत के खर्च को मिलाकर 1,50,000 / – रू० लेकर पंचो के समक्ष विवाह विच्छेद कर लिया। आवेदिका एवं विपक्षी पति के बीच तलाक हो जाने के उपरांत परिवाद पत्र सं0–36सी0 / 2019 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर ने दिनांक–16.05.2019 को परिवाद पत्र सं0–36सी0 / 2019 में विपक्षी को जमानत दिया है।

43. [redacted] का आगे कथन है कि उसके 25वें लाईन में स्पष्ट कथन किया है कि ''धार्मिक रीति के अनुसार दोनों के बीच विवाह विच्छेद हो गया है। विपक्षी प्रस्तुत वाद में दिनांक–16.05.2025 को मूल पंचनामा तलाकनामा दिनांक–29.12.2018 जो उर्दु में लिखा गया है वह मौलवी [redacted] की लिखावट में हैं तथा हिन्दी रूपांतरण भी [redacted] द्वारा किया गया है उस पंचनामा पर आवेदिका एवं विपक्षी का हस्ताक्षर है तथा गवाह के रूप में स्थानीय मुखिया [redacted], सरपंच [redacted] तथा आवेदिका के पिता [redacted] के साथ–साथ अन्य गवाहों का भी हस्ताक्षर है जो पंचायत में विपक्षी के सामने किया गया है का हिन्दी रूपान्तरण के साथ विपक्षी ने सबूत के तौर पर दाखिल किया है।

44. इस साक्षी ने आवेदिका की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आवेदिका साक्षी की भतीजी लगती है। आवेदिका साक्षी की भतीजी है यह बात वह शपथ पत्र में अंकित किया है। किस कंडिका में लिखा है नहीं बता सकता है। आवेदिका [redacted] से शादी से पूर्व विपक्षी पहले से शादी सूदा था तथा उसके नौ बच्चे थें। विपक्षी [redacted] भी साक्षी का भतीजा लगता है। आवेदिका नसीमा खातुन कोई काम–धंधा नहीं करती है। आवेदिका [redacted] को आमदनी का भी कोई साधन नहीं है। विपक्षी [redacted] अगर उसका भरण–पोषण नहीं करेगा तब उसके पास जीने का कोई साधन नहीं है। विपक्षी के घर से दो–तीन घर के दूरी पर आवेदिका [redacted] रहती है। आवेदिका [redacted] अपने जमीन में रह रही है।

45. इनका [redacted] प्रतिपरीक्षण में का आगे कथन है कि विपक्षी राजमिस्त्री का काम करता है। आवेदिका विपक्षी से निकाह करने के बाद कभी एक साथ नहीं रहे। आवेदिका को संतान हुआ है। विपक्षी आवेदिका पर कभी मुकदमा नहीं किया है। आवेदिका विपक्षी के विरुद्ध मार–पीट एवं दहेज प्रताड़ना का मुकदमा की है। मार–पीट तथा दहेज प्रताड़ना का मुकदमा करने के बाद विपक्षी उसे छोड़ दिया है। आवेदिका विपक्षी के पास नहीं रहती है इसलिए विपक्षी आवेदिका का भरण–पोषण नहीं करता है। पंचनामा पर साक्षी हस्ताक्षर नहीं किया है। पंचायती से उठकर साक्षी चला गया है। पंचायती में क्या फैसला हुआ था उसकी जानकारी साक्षी को नहीं हैं। पंचनामा वह पढ़ा नहीं था। पंचनामा में क्या लिखा था उसकी जानकारी साक्षी को नहीं है।

46. विपक्षी साक्षी संख्या–4 [redacted] हैं। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दोनों पक्ष साक्षी के गॉव का है इसलिए दोनों पक्ष को जानता व पहचानता है। आवेदिका ने साजिस रचकर सामाजिक दबाब डालकर अपने विपक्षी पति से जबरन निकाह कर लिया और विपक्षी को यह कहने लगी कि अब वह अपने बच्चे और अपने प्रथम पत्नी [redacted] को छोड़ दो तब वह अपने पति के साथ रहेंगें एवं सारी कमाई आवेदिका को दे।

47. [redacted] का आगे कथन है कि वह अपनी दूसरी पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग होने लगा तो इस बात की जानकारी प्रस्तुत वाद के आवेदिका के भाई एवं पिता को दिया तो वे लोग के द्वारा भी यह धमकी दिया गया कि आवेदिका [redacted] जैसा कहती हैं वैसा करो नहीं तो जेल में चक्की पिसते रहना। आवेदिका एवं आवेदिका के पिता तथा भाई के दुर्व्यवहार से तंग होकर विपक्षी ग्राम पंचायत परमानन्दपुर के मुखिया सरपंच एवं गणमान्य व्यक्तियों का एक पंचायत बैठाया उस पंचायत में विपक्षी को यह जानकारी हुई कि आवेदिका द्वारा विपक्षी एवं विपक्षी के भाई तथा प्रथम पत्नी [redacted] के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में परिवाद पत्र सं0–36सी0 / 2019 मुकदमा दायर की है। उस पंचायत में ही आवेदिका ने देन मेहर के साथ–साथ इद्दत के खर्च को मिलाकर एक मुस्त 1,50,000 / – रू० लेकर पंचो के समक्ष विपक्षी से विवाह विच्छेद कर लिया। पंचायत में वह उपस्थित था पंचनामा बनाया गया उस पर साक्षी का हस्ताक्षर है एवं दोनों पक्षकार के अलावे पंचों के भी हस्ताक्षर है जिसे वह पहचान सकता है। आवेदिका एवं विपक्षी पति के बीच तलाक हो जाने के उपरांत परिवाद पत्र सं0–36सी0 / 2019 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर ने दिनांक–16.05.2019 को परिवाद पत्र सं0–36सी0 / 2019 में विपक्षी को जमानत दे दिया।

48. [redacted] का आगे कथन है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक–16.05.2025 को मूल पंचनामा तलाकनामा दिनांक–29.12.2018 जो उर्दु में लिखा गया है वह मौलवी [redacted] की लिखावट में हैं तथा हिन्दी रूपांतरण भी [redacted] द्वारा किया गया है उस पंचनामा पर आवेदिका एवं विपक्षी का हस्ताक्षर है तथा गवाह के रूप में स्थानीय मुखिया [redacted], सरपंच [redacted] तथा आवेदिका के पिता [redacted] के साथ–साथ अन्य गवाहों का भी हस्ताक्षर है जो पंचायत में विपक्षी के सामने किया गया है का हिन्दी रूपान्तरण के साथ विपक्षी ने सबूत के तौर पर दाखिल किया है। आवेदिका आपसी समझौता से तलाक लेने के बाद भरण–पोषण लेने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

49. इस साक्षी ने आवेदिका की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि विपक्षी साक्षी का चचेरा भाई नहीं है। आवेदिका और विपक्षी एक ही गांव के रहने वाले हैं। साक्षी प्राईवेट रुप से शिक्षक का काम करता है। साक्षी उर्दू, कुरान, दिनियाद पढ़ाता है। शपथ पत्र पर साक्षी ने हिन्दी में हस्ताक्षर बनाया है। पुनः कहते हैं कि शपथ पत्र में अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में किया है तथा शपथ पत्र हिन्दी में तैयार करवाया है। शपथ पत्र के कंडिका–5 एवं 6 में पंचायती के संबंध में कथन किया है वह सत्य है। पंचायती में पंचनामा तैयार हुआ था साक्षी ने पंचनामा पढ़कर पंचनामा पर अपना हस्ताक्षर बनाया है और मूल पंचनामा उर्दू में तैयार हुआ था। पंचनामा पर साक्षी का हस्ताक्षर उर्दू में है। पंचनामा का हिन्दी रुपांतरण साक्षी ने देखा है जिसपर उभयपक्षों का हस्ताक्षर है।

50. [redacted] प्रतिपरीक्षण में का आगे कथन है कि आवेदिका ने खुला के माध्यम से विपक्षी को तलाक दे दी है। आवेदिका साक्षी के सामने पंचायती के दौरान विपक्षी को तलाक दी और उसके पश्चात् पंचनामा तैयार हुआ था। पंचनामा में खुला के माध्यम से आवेदिका द्वारा विपक्षी को तलाक देने से संबंधित कथन में खुला शब्द का कहीं भी रचना या कथन नहीं है। इस्लामिक रीति–रीवाज के अनुसार विपक्षी नें आवेदिका को तलाक दे दिया है। इसकी सूचना साक्षी को विपक्षी द्वारा पंचायती के दौरान बतायी गई थी। आवेदिका ने अपनी दूसरी शादी

किसी दूसरे मर्द से नहीं की है। आवेदिका को विपक्षी से कोई संतान नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर शपथ पत्र तैयार कर न्यायालय में झूठी गवाही दिया है। ऐसी बात नहीं है कि जिस पंचनामा के संबंध में गवाही में कथन किया है वह जाली–फरेबी है और उस जाली–फरेबी पंचनामा पर आवेदिका ने अपना हस्ताक्षर नहीं बनाया है। आवेदिका कॉस्मेटिक की दुकान चलाती है। ऐसी बात नहीं है कि आवेदिका कॉस्मेटिक का दुकान नहीं चलाती है। ऐसी बात नहीं है कि विपक्षी के ग्रामीण होने के नाते उसके पक्ष में न्यायालय में झूठी गवाही दिया है।

51. विपक्षी साक्षी संख्या–5 [redacted] हैं। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दोनों पक्षों को जानती है साक्षी ग्राम पंचायत परमानन्दपुर की भूतपूर्व मुखिया रह चुकी है। आवेदिका ने साजिस रचकर सामाजिक दबाब डालकर अपने विपक्षी पति से जबरन निकाह कर लिया और विपक्षी को यह कहने लगी कि अब वह अपने बच्चे और अपने प्रथम पत्नी [redacted] को छोड़ दो तब वह अपने पति के साथ रहेंगें एवं सारी कमाई आवेदिका को दे।

52. [redacted] का आगे कथन है कि वह अपनी दूसरी पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग होने लगा तो इस बात की जानकारी प्रस्तुत वाद के आवेदिका के भाई एवं पिता को दिया तो वे लोग के द्वारा भी यह धमकी दिया गया कि आवेदिका [redacted] जैसा कहती हैं वैसा करो नहीं तो जेल में चक्की पिसते रहना। इनका [redacted] का आगे कथन है कि आवेदिका एवं आवेदिका के पिता तथा भाई के दुर्व्यवहार से तंग होकर विपक्षी एक पंचायत बैठाया उस पंचायत में वह भी ग्राम पंचायत परमानन्दपुर के मुखिया के रूप में उपस्थित थी। अन्य भी गणमान्य पंचगण थे। पंचनामा बना पंचनामा पर साक्षी का भी हस्ताक्षर है। विपक्षी को यह जानकारी हुई कि आवेदिका द्वारा विपक्षी एवं विपक्षी के भाई तथा प्रथम पत्नी [redacted] के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में परिवाद पत्र सं0–36सी0 / 2019 मुकदमा दायर की है। उस पंचायत में ही आवेदिका ने देन मेहर के साथ–साथ इद्दत के खर्च को मिलाकर एक मुस्त 1,50,000 / – रू० लेकर पंचो के समक्ष विपक्षी से विवाह विच्छेद कर लिया। आवेदिका एवं विपक्षी पति के बीच तलाक हो जाने के उपरांत परिवाद पत्र सं0–36सी0 / 2019 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर ने दिनांक–16.05.2019 को परिवाद पत्र सं0–36सी0 / 2019 में विपक्षी को जमानत दे दिया गया।

53. [redacted] का आगे कथन है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक–16.05.2025 को मूल पंचनामा तलाकनामा दिनांक–29.12.2018 जो उर्दु में लिखा गया है वह मौलवी [redacted] की लिखावट में हैं तथा हिन्दी रूपांतरण भी [redacted] द्वारा किया गया है उस पंचनामा पर आवेदिका एवं विपक्षी का हस्ताक्षर है तथा गवाह के रूप में स्थानीय मुखिया [redacted], सरपंच [redacted] तथा आवेदिका के पिता [redacted] के साथ–साथ अन्य गवाहों का भी हस्ताक्षर है जो पंचायत में विपक्षी के सामने किया गया है को हिन्दी रूपान्तरण के साथ विपक्षी ने सबूत के तौर पर दाखिल किया है। आवेदिका आपसी समझौता से तलाक लेने के बाद भरण–पोषण लेने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

54. इस साक्षी ने आवेदिका की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि साक्षी परमानन्दपुर की मुखिया वर्ष 2016 से 2021 तक रही है। इस कार्यकाल के दौरान विपक्षी वार्ड सदस्य नहीं था। वीरपुर न्यायालय में आवेदिका द्वारा परिवाद पत्र संख्या 36सी / 2019 दायर

किया गया था इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुआ था। दोनों पक्षों के बीच पंचायती हुई थी और पंचनामा उर्दू भाषा में तैयार हुई थी। पंचनामा 30.12.2018 को पंचायती में तैयार की गई थी। साक्षी द्वारा वर्तमान पक्षों के अतिरिक्त किसी अन्य पक्षों के बीच में पंचायती की गई थी उसमें पंचनामा किस भाषा में तैयार किया गया था, याद नहीं है। पंचनामा पर साक्षी ने अपना हस्ताक्षर बनाया है। हस्ताक्षर के नीचे साक्षी ने तारीख नहीं लिखा है। साक्षी उर्दू पढ़ना–लिखना नहीं जानती है। पंचनामा उर्दू में लिखा है। उर्दू में क्या लिखा है उसकी जानकारी नहीं है। पंचनामा में देखकर साक्षी नहीं बता सकती है कि उसपर [redacted] एवं उसके पिता [redacted] का हस्ताक्षर उसपर है अथवा नहीं। ऐसी बात नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच कोई पंचायती नहीं हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि विपक्षी साक्षी का सहयोगी है इसलिए उसके प्रभाव में गलत पंचनामा तैयार किया गया है जिसमें साक्षी का हस्ताक्षर है। आवेदिका [redacted] अपने मायके में रहती है। आवेदिका [redacted] ने विपक्षी [redacted] से निकाह करने के उपरांत किसी अन्य पुरुष से दूसरी शादी नहीं की है।

55. विपक्षी साक्षी संख्या–6 [redacted] हैं। इन्होंने अपने शपथ–पत्र पर दिये गये अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आवेदिका [redacted] का खलेरा भाई है। साक्षी दोनों पक्षों को जानता है। आवेदिका ने अपने विपक्षी पति से साजिस रचकर सामाजिक दबाब डालकर जबरन निकाह कर लिया और विपक्षी को यह कहने लगी कि अब वह अपने बच्चे और अपने प्रथम पत्नी [redacted] को छोड़ दो तब वह अपने पति के साथ रहेंगें एवं सारी कमाई आवेदिका को दे।

56. [redacted] का आगे कथन है कि वह अपनी दूसरी पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग होने लगा तो इस बात की जानकारी प्रस्तुत वाद के आवेदिका के भाई एवं पिता को दिया तो वे लोग के द्वारा भी यह धमकी दिया गया कि आवेदिका [redacted] जैसा कहती हैं वैसा करो नहीं तो जेल में चक्की पिसते रहना। इनका [redacted] का आगे कथन है कि आवेदिका एवं आवेदिका के पिता तथा भाई के दुर्व्यवहार से तंग होकर विपक्षी ग्राम पंचायत परमानन्दपुर के मुखिया सरपंच एवं गणमान्य व्यक्तियों का एक पंचायत बैठाया उस पंचायत में विपक्षी को यह जानकारी हुई कि आवेदिका द्वारा विपक्षी एवं विपक्षी के भाई तथा प्रथम पत्नी [redacted] के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वीरपुर के न्यायालय में परिवाद पत्र सं0–36सी0/2019 मुकदमा दायर की है। उस पंचायत में ही आवेदिका ने देन मेहर के साथ–साथ इद्दत के खर्च को मिलाकर एक मुस्त 1,50,000/– रू० लेकर पंचो के समक्ष विपक्षी से विवाह विच्छेद कर लिया। पंचायत में वह उपस्थित था पंचनामा बनाया गया उस पर साक्षी का हस्ताक्षर है एवं दोनों पक्षकार के अलावे पंचों के भी हस्ताक्षर है जिसे वह पहचान सकता है।

57. [redacted] का आगे कथन है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक–16.05.2025 को मूल पंचनामा तलाकनामा दिनांक–29.12.2018 जो उर्दु में लिखा गया है वह मौलवी [redacted] की लिखावट में हैं तथा हिन्दी रूपांतरण भी [redacted] द्वारा किया गया है उस पंचनामा पर आवेदिका एवं विपक्षी का हस्ताक्षर है तथा गवाह के रूप में स्थानीय मुखिया [redacted], सरपंच [redacted] तथा आवेदिका के पिता [redacted] के साथ–साथ अन्य गवाहों का भी हस्ताक्षर है जो पंचायत में विपक्षी के सामने तैयार किया गया है को हिन्दी रूपान्तरण के साथ

विपक्षी ने सबूत के तौर पर दाखिल किया है। आवेदिका आपसी समझौता से तलाक लेने के बाद भरण–पोषण लेने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

58. इस साक्षी ने आवेदिका की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह मौलाना है। मुस्लिम रीति में विवाह दोनों पक्षों के दवाब से किया जाता है। निकाह के समय निकाह पढ़ाते समय मौलाना द्वारा दोनों पक्षों से निकाह करने हेतु रजामंदी पूछी जाती है। सबसे पहले निकाह की स्वीकृती लड़की के द्वारा दी जाती है जब लड़की निकाह कबूल करती है तब लड़का से पूछा जाता है और जब लड़का निकाह को कबूल कर लेता है तब निकाह हो जाता है। साक्षी आवेदिका का सगा मौसेरा भाई है और विपक्षी भी गांव का भाई लगता है। उभयपक्षों का निकाह साक्षी काजी के रुप में पढ़ाया था। निकाह पढ़ाते समय समाज का बहुत दबाव था और साक्षी दवाब में आकर निकाह पढ़ाया था जिसकी सूचना वह निकाह होने के बाद किसी व्यक्ति को नहीं दिया था और न ही प्राथमिकी दर्ज कराया था। शपथ पत्र में साक्षी हिन्दी में हस्ताक्षर किया है। दोनों पक्षों के बीच हुई पंचायती में साक्षी भी शामिल था। पंचनामा पर साक्षी का हस्ताक्षर है जो उर्दू में है। ऐसी बात नहीं है कि साक्षी न्यायालय में झूठे तथ्यों के आधार पर शपथ पत्र दाखिल कर झूठी गवाही दिया है।

<u>आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य</u>

59. आवेदिका ने अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

<u>विपक्षी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य</u>

60. विपक्षी [redacted] ने अपने बचाव के समर्थन में प्रदर्श D-1 (Exhibit D-1) के रूप में अहदनामा (तलाकनामा / समझौता पत्र) दिनांक 16 मई 2025 को एक सूची के साथ मूल अहदनामा उर्दू भाषा में, जो दिनांक–29.12.2018 को निष्पादित हुआ था, और उसका प्रामाणिक हिंदी रूपांतरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसे विपक्षी साक्षी संख्या–2 (स्वयं [redacted]) के साक्ष्य के दौरान विधिवत रूप से प्रदर्श D–1 के रूप में चिन्हित किया गया है। इस 'अहदनामा' की विषयवस्तु का परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि दिनांक 04–01–2019 को पंचों के समक्ष यह अंतिम निर्णय लिया गया कि तलाक को पूर्णतः प्रभावी माना जाए। दस्तावेज में 1,50,000 /– रुपये के भुगतान का विस्तृत वित्तीय विखंडन स्पष्ट रूप से दर्ज है जिसमें इद्दत का खर्च (3 माह हेतु) = 3000 x 3 = 9,000 /– रुपये, निकाह की मुद्दत का खर्च (24 माह हेतु) = 3000 x 24 = 72,000 /– रुपये, मता–ए–मारूफ (मुहर की राशि) = 69,000 /– रुपये कुल भुगतान राशि = 1,50,000 /– रुपये दर्शित की गई है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर मौलवी [redacted], पंचायत की सरपंच [redacted], तत्कालीन मुखिया [redacted] और [redacted] के हस्ताक्षर और आधिकारिक मोहर साक्षी के रूप में रूप से अंकित हैं। दस्तावेज में यह भी उल्लेखित है कि इस एकमुश्त भुगतान के पश्चात भविष्य में कोई दावा या हक बाकी नहीं रहेगा।

<u>विचारणीय बिंदु</u>

61. पक्षकारों के विस्तृत अभिवचनों, दोनों ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों और अंतर्निहित विधिक प्रश्नों का समग्र अनुशीलन करने के पश्चात्, इस न्यायालय के समक्ष अंतिम न्यायनिर्णयन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु उत्पन्न होते हैं

(i). क्या आवेदिका [redacted] आज भी विपक्षी [redacted] की विधिक रूप से विवाहिता पत्नी है, अथवा दिनांक 29–12–2018 के अहदनामा (पंचायत) के अनुसार उनके मध्य विधिक रूप से विवाह–विच्छेद (तलाक–ए–बिद्दत / खुला) संपन्न हो चुका है?

(ii). क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला, जिस पर मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' लागू होता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपने पूर्व पति से भरण–पोषण की मांग करने हेतु विधिक रूप से अधिकारिणी है?

(iii). क्या दिनांक 29–12–2018 की पंचायत के समक्ष 1,50,000 /– रुपये की एकमुश्त राशि प्राप्त कर लेने और 'अहदनामा' के माध्यम से भविष्य में भरण–पोषण का कोई दावा न करने' का निजी करार कर लेने मात्र से, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदिका के वैधानिक अधिकार पूर्णतः शून्य या समाप्त हो जाते हैं?

(iv). क्या विपक्षी [redacted] के पास भरण–पोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और क्या उसने अपनी पत्नी / तलाकशुदा पत्नी का भरण–पोषण करने में जानबूझकर उपेक्षा या इंकार किया है, जबकि आवेदिका स्वयं का भरण–पोषण करने में पूर्णतः असमर्थ है?

(v). यदि उपर्युक्त सभी विधिक और तथ्यात्मक बिंदुओं का उत्तर आवेदिका के पक्ष में सकारात्मक है, तो आवेदिका प्रतिमाह कितनी भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

<u>मन्तव्य</u>

62. **<u>विचारण बिंदु संख्या–1:</u>** क्या आवेदिका [redacted] आज भी विपक्षी [redacted] की विधिक रूप से विवाहिता पत्नी है, अथवा दिनांक 29–12–2018 के अहदनामा (पंचायत) के अनुसार उनके मध्य विधिक रूप से विवाह–विच्छेद (तलाक–ए–बिद्दत / खुला) संपन्न हो चुका है? :– इस वाद का प्रथम और सबसे बुनियादी तथ्यात्मक विवाद यह है कि क्या दोनों पक्षकारों के मध्य आज भी वैवाहिक संबंध विद्यमान है। आवेदिका का दावा है कि वह अभी भी विपक्षी की पत्नी है और उसने कभी भी तलाक को स्वीकार नहीं किया है। दूसरी ओर, विपक्षी का तर्क है कि दिनांक 29–12–2018 को एक वृहद पंचायत हुई थी, जिसमें अहदनामा (प्रदर्श D–1) लिखा गया, 1.5 लाख रुपये का भुगतान हुआ और विधिक रूप से तलाक संपन्न हो गया।

63. इस बिंदु पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर स्थिति अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि आवेदिका (आवेदिका साक्षी संख्या–3), उसके पिता (आवेदिका साक्षी संख्या–2) और भाई (आवेदिका साक्षी संख्या–1) ने तलाक और अहदनामा से इंकार किया है, परंतु उनके कथनों में ही विरोधाभास है। जहाँ भाई ने पंचायत होने से ही इंकार किया, वहीं पिता ने पंचायत होने की बात स्वीकार की। इसके विपरीत, विपक्षी ने अपने दावे को सिद्ध करने के लिए गाँव के अत्यंत जिम्मेदार, सम्मानित और स्वतंत्र गवाहों को प्रस्तुत किया है। विपक्षी साक्षी संख्या–1 (तत्कालीन सरपंच [redacted]), विपक्षी साक्षी संख्या –5 (तत्कालीन मुखिया [redacted]), और विपक्षी साक्षी संख्या–4 तथा विपक्षी साक्षी संख्या–6 (मौलवी और शिक्षक) ने शपथ पूर्वक न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट गवाही दी है कि उनके सामने पंचायत हुई थी, 1.5 लाख रुपये का भौतिक लेन–देन हुआ था और अहदनामा पर सभी ने हस्ताक्षर किए थे।

64. दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श D–1 (अहदनामा) पर पंचायत के सरपंच और मुखिया की आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर मौजूद हैं। यद्यपि विपक्षी साक्षी संख्या–5 (मुखिया) ने यह स्वीकार किया कि वह उर्दू नहीं जानती, फिर भी पंचायत के आयोजन और दस्तावेजों के निष्पादन के तथ्य को वह झुठला नहीं सकीं। इसके अतिरिक्त, वीरपुर न्यायालय के जमानत आदेश में भी इस अहदनामा और तलाक का स्पष्ट उल्लेख है। किसी भी स्वतंत्र गवाह ने आवेदिका के पक्ष में यह गवाही नहीं दी है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था।

65. साक्ष्यों के प्रबल्यानुसार, न्यायालय यह स्पष्ट निष्कर्ष निकालता है कि दिनांक 29–12–2018 को पंचायत के माध्यम से दोनों पक्षकारों के मध्य विवाह–विच्छेद (तलाक) की कार्यवाही पूर्ण रूप से संपन्न हुई थी और 1,50,000 / – रुपये का भुगतान किया गया था। अतः वर्तमान विधिक स्थिति के अनुसार, आवेदिका [redacted] विपक्षी [redacted] की विधिक रूप से तलाकशुदा पत्नी है।

66. <u>**विचारण बिंदु संख्या–2:**</u> क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला, जिस पर मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986' लागू होता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपने पूर्व पति से भरण–पोषण की मांग करने हेतु विधिक रूप से अधिकारिणी है? :– यह इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न है। विपक्षी का मुख्य बचाव यह है कि चूँकि आवेदिका अब एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला है, अतः उस पर मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू होता है। विपक्षी का तर्क है कि इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उसका यह वाद पोषणीय ही नहीं है।

67. दानियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) 7 SCC 740 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1986 के अधिनियम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि एक मुस्लिम पति का दायित्व केवल इद्दत की अवधि तक सीमित नहीं है। उसे अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान करना होता है, जो इद्दत की अवधि के बाद भी पत्नी को दरिद्रता से बचा सके। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को भी अन्य महिलाओं के समान सुरक्षा प्राप्त है।

68. शबाना बानो बनाम इमरान खान (2010) 1 SCC 666 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संशय के सारे बादल छांटते हुए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के धर्मनिरपेक्ष प्रावधान पर्सनल लॉ पर हावी हैं। एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी, और जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण–पोषण पाने की पूर्ण अधिकारिणी है।

69. मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य व अन्य (2024 INSC 506) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि 1986 का अधिनियम, 'धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों को न तो निरस्त करता है और न ही कमतर करता है।' 'एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपनी सुविधानुसार धारा 125 Cr.P.C. का आश्रय बेहिचक ले सकती है। 1986 के अधिनियम के प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अतिरिक्त हैं, न कि उसके अल्पीकरण में। धारा 125 एक कल्याणकारी विधान है, दान नहीं।'

70. उपरोक्त विधिक दृष्टांतों के आलोक में, न्यायालय यह धारित करता है कि तलाकशुदा होने के बावजूद, आवेदिका [redacted] धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने पूर्व पति से

आजीवन (पुनर्विवाह तक) भरण—पोषण की मांग करने हेतु पूर्णतः विधिक रूप से सक्षम और अधिकारिणी है। विपक्षी की यह आपत्ति निराधार होने के कारण खारिज की जाती है।

71. **विचारण बिंदु संख्या—3:** क्या दिनांक 29—12—2018 की पंचायत के समक्ष 1,50,000 / — रुपये की एकमुश्त राशि प्राप्त कर लेने और अहदनामा के माध्यम से भविष्य में भरण—पोषण का कोई दावा न करने का निजी करार कर लेने मात्र से, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदिका के वैधानिक अधिकार पूर्णतः शून्य या समाप्त हो जाते हैं? यह इस प्रकरण का सबसे जटिल और निर्धारक विधिक पहलू है। विपक्षी का प्रबल तर्क यह है कि अहदनामा (प्रदर्श D—1) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आवेदिका ने 1,50,000 / — रुपये प्राप्त कर लिए हैं और भविष्य में वह कोई दावा नहीं करेगी (कोई दावा व हक बाकी न रहा... दावा करने पर बातिल करार दिया जाएगा)। विपक्षी इस समझौते को भरण—पोषण के वैधानिक अधिकार का स्थायी अधित्याग मानता है।

72. अब न्यायालय के समक्ष यह गंभीर प्रश्न है कि क्या एक निजी अनुबंध या सामाजिक पंचायत का समझौता संसद द्वारा बनाए गए धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कल्याणकारी और वैधानिक अधिकार को हमेशा के लिए शून्य कर सकता है?

73. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 स्पष्ट करती है कि कोई भी ऐसा करार जो विधि के प्रावधानों को विफल करता हो या लोक नीति के विरुद्ध हो, वह प्रारंभ से ही शून्यहोता है। भरण—पोषण के वैधानिक अधिकार को छोड़ने का कोई भी समझौता लोक नीति के विरुद्ध है। धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता का मूल उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को भुखमरी और वेश्यावृत्ति जैसे अवांछित मार्गों पर जाने से बचाना है। कोई भी महिला अपनी इस वैधानिक जीवन—रक्षक सुरक्षा का सौदा किसी निजी करार के माध्यम से नहीं कर सकती तथा पत्नी द्वारा भविष्य के भरण—पोषण के अधिकारों को छोड़ने का समझौता लोक नीति के विरुद्ध है और शून्य है। भरण—पोषण के अधिकार का अधित्याग करने वाला समझौता न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बेदखल करने का प्रयास है, अतः यह पूर्णतः अप्रवर्तनीय है। यदि पति द्वारा कोई एकमुश्त राशि दी गई है, तो उसका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक वह राशि पत्नी के भविष्य के निर्वाह के लिए वास्तव में पर्याप्त हो। यदि मुद्रास्फीति के कारण वह एकमुश्त राशि समाप्त हो जाती है और महिला पुनः दरिद्रता के कगार पर पहुँच जाती है, तो धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अधिकार स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है।

74. विपक्षी ने दिसंबर 2018 में 1,50,000 / — रुपये का भुगतान किया था। इस राशि का विखंडन स्वयं अहदनामा में स्पष्ट हैः मेहर (69,000), इद्दत (9,000) और मात्र 2 वर्ष का अग्रिम खर्च (72,000)। आज वर्ष 2026 चल रहा है, अर्थात् पंचायत को हुए लगभग 8 वर्ष बीत चुके हैं। सामान्य आर्थिक समझ भी यह स्पष्ट करती है कि 72,000 रुपये की राशि किसी भी व्यक्ति के लिए 8 वर्षों के भोजन, वस्त्र और चिकित्सा के लिए अत्यंत अपर्याप्त है। मुद्रास्फीति के कारण उस राशि का मूल्य बहुत पहले ही क्षीण हो चुका है और आज आवेदिका वास्तव में दरिद्रता का जीवन जीने को विवश है।

75. अतः न्यायालय का यह सुविचारित और विधिक रूप से पुष्ट मत है कि अहदनामा (प्रदर्श D—1) में दर्ज भविष्य में दावा न करने की शर्त लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण विधिक रूप से पूर्णतः शून्य एवं अप्रवर्तनीय है। 1,50,000 / — रुपये की वह एकमुश्त राशि

आवेदिका के आजीवन भरण–पोषण के लिए किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं है, अतः यह समझौता आवेदिका के धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधिकारों को समाप्त नहीं करता है।

76. **<u>विचारण बिंदु संख्या–4:</u>** क्या विपक्षी [redacted] के पास भरण–पोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और क्या उसने अपनी पत्नी/तलाकशुदा पत्नी का भरण–पोषण करने में जानबूझकर उपेक्षा या इंकार किया है, जबकि आवेदिका स्वयं का भरण–पोषण करने में पूर्णतः असमर्थ है? धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने की तीन प्राथमिक शर्तें हैं।

(i) पति के पास पर्याप्त साधन हों।

(ii) उसने भरण–पोषण करने में उपेक्षा या इंकार किया हो।

(iii) पत्नी स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो।

77. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों (आवेदिका साक्षी संख्या–3 स्वयं आवेदिका, आवेदिका साक्षी संख्या–2 उसके पिता और यहाँ तक कि विपक्षी साक्षी संख्या–3 विपक्षी के चाचा [redacted] के साक्ष्य) से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि [redacted] एक पूर्णतः अशिक्षित महिला है। उसके पास आय का कोई भी स्वतंत्र स्रोत नहीं है, वह कोई काम–धंधा नहीं करती है, और वह पूरी तरह से अपने वृद्ध पिता पर आश्रित है। अतः वह स्वयं का भरण–पोषण करने में अक्षम है।

78. विपक्षी ने अपने लिखित जवाब और दिनांक 03–05–2024 की सुलह प्रक्रिया के दौरान न्यायालय के समक्ष यह खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उसने वर्ष 2018 के अहदनामे के बाद से आवेदिका को कोई भी भरण–पोषण नहीं दिया है और वह उसे अपने साथ रखने या भरण–पोषण देने को तैयार नहीं है। यह कृत्य स्पष्ट रूप से विधिक उपेक्षा और इंकार की श्रेणी में आता है।

79. आवेदिका का यह दावा है कि विपक्षी खस्सी–बकरी और कृषि से 20–25 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है। परंतु विपक्षी (विपक्षी साक्षी संख्या–2) ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने शपथ पत्र (Affidavit of Assets and Liabilities) और जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह एक कुशल राजमिस्त्री/पेंटर का कार्य करता है और उसे 600/– रुपये प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त होती है। यदि वह महीने में सामान्य रूप से 25 दिन भी कार्य करता है, तो उसकी न्यूनतम मासिक आय 15,000/– से 18,000/– रुपये के मध्य होती है। एक स्वस्थ सवस्थ शरीर वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को भरण–पोषण देने के विधिक और नैतिक दायित्व से मात्र यह कहकर नहीं बच सकता कि उसके पास असीमित साधन नहीं हैं। उसे शारीरिक श्रम करके भी अपनी पत्नी का भरण–पोषण करना है। अतः न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विपक्षी [redacted] के पास शारीरिक श्रम के माध्यम से अर्जित पर्याप्त साधन विद्यमान हैं, और उसने बिना किसी युक्तिसंगत कारण के अपनी साधनहीन तलाकशुदा पत्नी के भरण–पोषण में उपेक्षा की है।

80. **<u>विचारण बिंदु संख्या–5:</u>** यदि उपर्युक्त सभी विधिक और तथ्यात्मक बिंदुओं का उत्तर आवेदिका के पक्ष में सकारात्मक है, तो आवेदिका प्रतिमाह कितनी भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है? इस प्रकरण में, विपक्षी की मासिक आय लगभग 15,000/– से 18,000/– रुपये आंकी गई है। विपक्षी ने यह प्रमाणित किया है कि उसकी पहली पत्नी

जीवित है और उससे उसके 9 बच्चे हैं (जिनमें कुछ नाबालिग भी हैं)। अतः इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी पर 10 अन्य व्यक्तियों के भरण–पोषण का एक भारी आर्थिक बोझ है। परंतु, दूसरी ओर आवेदिका [redacted] पूर्णतः साधनहीन और दरिद्रता के कगार पर खडी है। यद्यपि विपक्षी पर बडा पारिवारिक बोझ है, फिर भी वह अपनी दूसरी (तलाकशुदा) पत्नी के प्रति अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। बढ़ती महंगाई और एक महिला की न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा, को दृष्टिगत रखते हुए, 15,000–18,000 की आय में से एक अत्यंत न्यूनतम किन्तु सम्मानजनक राशि आवेदिका के पक्ष में अवश्य तय की जानी चाहिए।

81. न्यायालय इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी संज्ञान में रखता है कि विपक्षी ने वर्ष 2018 के अंत में 1,50,000 / – रुपये का भुगतान किया था। यद्यपि विधिक रूप से वह राशि अब समाप्त हो चुकी मानी जाएगी, परंतु साम्य कि मांग है कि यह तथ्य इस बात को उचित ठहराता है कि भरण–पोषण का आदेश आवेदन संस्थित करने की तिथि (फरवरी 2019) के बजाय निर्णय की तिथि से लागू किया जाए। यदि आदेश 2019 से लागू किया जाता है, तो विपक्षी पर लगभग 7 वर्षों के बकाये का लाखों रुपयों का एक ऐसा अनुचित बोझ पड़ेगा, जिसे चुकाना एक दिहाड़ी मजदूर के लिए असंभव होगा और यह न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगा।

82. सभी परिस्थितियों, विपक्षी की सीमित आय, उसके 9 आश्रित बच्चों के दायित्व, वर्तमान महंगाई दर और आवेदिका की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए, न्यायालय आवेदिका के लिए 2,000 / – (दो हजार रुपये) प्रतिमाह की भरण–पोषण राशि को सर्वथा उचित, न्यायसंगत और यथार्थवादी मानता है।

<u>आदेश</u>

83. साक्ष्यों, पक्षकारों के विस्तृत अभिवचनों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के गहन विश्लेषण के आधार पर, आवेदिका [redacted] द्वारा प्रस्तुत भरण–पोषण वाद संख्या 24 / 2019 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

84. विपक्षी [redacted] को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी (आवेदिका [redacted]) के भरण–पोषण एवं निर्वाह हेतु 2,000 / – (दो हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण भत्ते का भुगतान करे।

85. साम्य के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए, भरण–पोषण की यह राशि इस निर्णय की तिथि अर्थात् 06 जून 2026 से देय होगी।

86. विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक अंग्रेजी कलैंडर माह की 10वीं तारीख तक भरण–पोषण की नियमित राशि आवेदिका के बैंक खाते में सीधे जमा कराए आवेदिका अपना बैंक खाता विवरण पंद्रह (15) दिनों के भीतर न्यायालय एवं विपक्षी को उपलब्ध कराएगी।

87. विपक्षी यह भरण–पोषण भत्ता आवेदिका को तब तक देने के लिए पूर्ण रूप से बाध्य होगा, जब तक कि आवेदिका विधि–सम्मत रूप से पुनर्विवाह नहीं कर लेती।

88. विपक्षी द्वारा यदि भरण–पोषण राशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया जाता है, तो आवेदिका बकाया वसूली और दंडात्मक कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगी।

89. पत्रावली नियमानुसार संकलित कर अभिलेखागार में जमा की जाए।

निर्णय आज दिनांक 06 जून 2026 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, मुद्रित एवं उद्घोषित किया गया।

लेखापित

(राहुल उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, सुपौल
06.06.2026

मेरे द्वारा निर्णय टंकित कराया, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया

(राहुल उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीष, परिवार न्यायालय, सुपौल
06.06.2026

Order uploaded on-06-06-2026
by Rakesh kumar
(Steno)